भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

58
A-5161-दो/16

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल [illegible] ग्वालियर कैम्प बिलासपुर

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

रामलखन पटेल पिता स्व. श्री सीताराम पटेल उम्र 68 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम अमोरी तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म. प्र. ———— अपीलार्थी

बनाम.

आवेदक अभिभाषक श्री आरती पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत किया गया 1-4-16
1.4.16

1- रणजीत सिंह उर्फ संजय सिंह पिता स्व. श्री लाल गंगा सिंह

2- बृजवासी पटेल पिता नर्मदा पटेल,

3- रामावतार पटेल पिता रामेश्वर पटेल (कुर्मी)

4- कमलेश्वर पटेल पिता भैयालाल पटेल

5- सूर्यभान सिंह गोंड पिता होरीलाल पटेल

6- पक्षभान पटेल पिता अयोध्या पटेल

7- शैलेन्द्र शर्मा पिता बी. पी. शर्मा सभी निवासी ग्राम अमोरी तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म. प्र. ———— रेस्पाडेन्टगण

अपील विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 666 / अपी. 015-16 आदेश दिनांक 17.03.016

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 44 (2) म. प्र. भू. रा. संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

अपील के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

यह कि अपीलार्थी रामलखन पटेल व रेस्पाडेन्ट बृजवासी पटेल रामकृष्ण सुर्यभान सिंह गोंड रामसेवक पटेल शिवसूरत पटेल रामावतार पटेल, कमलेश्वर पटेल, पक्षभान

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5161–दो/2016 अपील जिला– सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-4-17	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 665/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–3–16 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक श्री आर0पी0पाण्डे के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को के प्रकाश में निगरानी मेमो के तथ्यों एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 17–3–16 के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी चुरहट ने प्रकरण कमांक 13 अ 74/10–11 में पारित आदेश दिनांक 20–1–11 से वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध तहसीलदार एंव राजस्व निरीक्षक से मौके की जॉच कराकर बंदोवस्त के दौरान हुई त्रृटि सुधार के आदेश दिये है और आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील होने पर आदेश दिनांक 17–3–16 से अपील ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त कर दी गई है, जबकि अपर आयुक्त का अपीलीय न्यायालय होने से दायित्व था कि अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त करके परीक्षण करते कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की वास्तविक स्थिति क्या है ? और तद्नुसार विचार करते	

हुये निर्णय लेते, किन्तु उन्होंने ऐसा न करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख देखे बिना अपील निरस्त करने में त्रुटि की है, जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 666/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–3–16 दोषपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ओशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 666/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–3–16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त कर हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये अपील प्रकरण में गुणदोष के आधार पर पुनः आदेश पारित करें।

सदस्य